अध्याय 1 – प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

कोयला एक प्राकृतिक खनिज है और विश्व में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन और धातु परिष्करण आदि जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। भारतीय संविधान में खान एवं खनिज विकास को संविधान की सातवीं अनुसूची अर्थात् संघ सूची की सूची I की क्रम संख्या 54 पर रखा गया है। इसलिए संसद इसके नियमन के लिए कानून बनाने में सक्षम है। 1993 और 2011 के मध्य, केन्द्र सरकार ने जाँच समिति[1] मार्ग और सरकारी वितरण मार्ग[2] के माध्यम से 218 कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) ने मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए अपने 2012–13 के निष्पादन लेखापरीक्षा (पी ए) प्रतिवेदन संख्या 7 में कोयला ब्लॉक की आबंटन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता के अभाव और निजी दलों को ₹1.86 लाख करोड़ के वित्तीय लाभ, जिसके एक भाग को सरकार कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर समयोचित निर्णय लेकर प्राप्त कर सकती थी, के मामलों को विशेष रूप से उठाया था। भारत के सी ए जी के इस प्रतिवेदन का लोक लेखा समिति द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय[3] (25 अगस्त, 2014) में कहा कि 1993 से भारत सरकार (जी ओ आई) की जाँच समिति द्वारा आबंटित किए गए कोयला ब्लॉक और इसके साथ ही सरकारी वितरण मार्ग के माध्यम से किए गए आबंटन भी अवैध और मनमाने थे। इसके पश्चात्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितम्बर 2014 को अपने आदेश में 204 कोयला ब्लॉकों के आबंटन को निरस्त कर दिया। 42 कोयला ब्लॉक जो कि 'उत्पादन कर रहे थे' और 'उत्पादन को तैयार' श्रेणी के अन्तर्गत थे, के मामले में निरस्तीकरण को 31 मार्च 2015 से प्रभावी होना था। शेष 162 कोयला ब्लॉक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तिथि से ही निरस्त हो गए। 42 कोयला ब्लॉकों के आबंटियों को 31 मार्च 2015 तक निकाले गए कोयले पर ₹295 प्रति मीट्रिक टन (पी एम टी) की राशि का अतिरिक्त लेवी के रूप में भुगतान करना था।

---

[1] जाँच समिति जिसके सदस्य अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) और सलाहकार (परियोजनाएँ), एम ओ सी, संयुक्त सचिव, और वित्तीय सलाहकार, रेलवे, विद्युत मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि है, का गठन निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा कैप्टिव खनन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जाँच के लिए भारत सरकार (जी ओ आई) ने जुलाई 1992 में किया।

[2] सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कैप्टिव प्रयोग या व्यावसायिक खनन के लिए एम ओ सी द्वारा कोयला ब्लॉकों के सीधे आबंटन को सरकारी वितरण मार्ग के नाम से जाना जाता था।

[3] मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव एवं अन्य 2012 की समादेश याचिका (सी आर एल) संख्या 120

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सितम्बर 2014 में कोयला ब्लॉकों के आबंटन को निरस्त करने के पश्चात् भारत सरकार ने अल्पावधि में ढाँचा तैयार कर लिया और मार्च 2015 तक दो ट्रेंचों में 29 कोयला खानों की सफलता पूर्वक नीलामी की गई।

1.2 घटनाओं का क्रम

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 204 कोयला ब्लॉकों के आबंटन को निरस्त करने के बाद की घटनाओं के क्रम को नीचे दिया गया है:

तालिका 1 : घटनाओं का क्रम

तिथि	घटना
21 अक्तूबर 2014	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए 204 कोयला खानों को पुनः आबंटित करने के लिए सरकार को अधिकृत करने हेतु कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 की घोषणा
29 अक्तूबर 2014	अध्यादेश की धारा 6 के अनुसरण में, भारत सरकार ने निरस्त कोयला खानों के आबंटन के लिए सभी आवश्यक कार्यों के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (एन ए) को नियुक्त किया
11 दिसम्बर 2014	घोषित कोयला अध्यादेश के उपबन्धों के परिचालन के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 की अधिसूचना
26 दिसम्बर 2014	कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश 2014 की घोषणा
27 दिसम्बर 2014	एम एस टी सी लिमिटेड की वेबसाईट पर मानक निविदा दस्तावेज (एस टी डी) को जारी करना
14 फरवरी 2015 - 22 फरवरी 2015	प्रथम ट्रेंच के लिए नीलामी
04 मार्च 2015 - 13 मार्च 2015	द्वितीय ट्रेंच के लिए नीलामी
30 मार्च 2015	कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की अधिसूचना

1.3 कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश 2014

भारत सरकार (जी ओ आई) ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त 204 कोयला ब्लॉकों को पुनः आबंटित करने के उद्देश्य के साथ और सरकारी कंपनियों को आबंटन के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, या नीलामी के माध्यम से चुने गए नए आबंटियों को भूमि एवं अन्य खनन से सम्बद्ध आधार भूत संरचनाओं सहित, खानों में अधिकार, स्वामित्व और हितों के निर्विघ्न स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए (21 अक्तूबर 2014) एक अध्यादेश 'कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश 2014' की घोषणा की। इस अध्यादेश ने निरस्त कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए कानूनी ढाँचा उपलब्ध करवाया।

भारत सरकार ने अध्यादेश के प्रतिस्थापन पर संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो चुका था और राज्यसभा में लंबित था। इसलिए, भारत सरकार ने 26 दिसम्बर

2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 की घोषणा की। इसके पश्चात् संसद द्वारा विधेयक स्वीकृत किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् 30 मार्च 2015 को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (अधिनियम) अधिसूचित किया गया। यह 21 अक्तूबर 2014 से लागू माना गया था।

अध्यादेश/अधिनियम की घोषणा/स्वीकृति दी गई:

- कोयले के उत्पादन और कोयला खनन संचालनों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के समानुरूप कोयला स्रोतों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और
- देश की विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सफल बोलीदाताओं और आबंटियों को कोयला खानों के आबंटन की कार्यवाही शीघ्र करने हेतु और प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, सीमेंट और विद्युत सेवाओं पर किसी प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, जो कि देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

1.4 कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम 2014

कोयला खानों की नीलामी के लिए अक्तूबर 2014 में घोषित अध्यादेश के प्रावधानों के परिचालन के लिए भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 (नियम) को अधिसूचित किया। इन नियमों ने आबंटन प्रक्रियाएँ और नीलामी करवाने के लिए सक्षम उपबंधों की स्थापना की और तकनीकी एवं वित्तीय मानकों जैसे कि अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त नीलामी करवाने के लिए प्रक्रिया को समाविष्ट करते हुए ई–नीलामी को निर्धारित किया।